

हिमाचल प्रदेश सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग-बी

संख्या: एस0जे0ई0-बी-एफ(1)3/2023 दिनांक शिमला-2 3.2.2024

अधिसूचना

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, "मुख्यमंत्री विधवा एवम् एकल नारी आवास योजना-2023" (अनुबन्ध-क) तथा उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु "मानक संचालन प्रक्रिया" (SOP) (अनुबन्ध-ख) को अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आदेश द्वारा

एम0 सुधा देवी  
सचिव(सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन सं0एस0जे0ई0 बी-एफ(1)3/2023 दिनांक शिमला 3.2.2024  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त प्रधान सलाहकार, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2।
2. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2।
3. प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2।
4. सचिव, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2।
5. प्रधान निजी सचिव एवं विशेष सचिव, मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2।
6. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)/वरिष्ठ उप महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश, शिमला-3।
7. समस्त मण्डलायुक्त/समस्त विभागाध्यक्ष/समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
8. निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण हि0प्र0 शिमला-9 के पत्र सं0 4-6 (14)/2023- ईसोमसा- आईजीएमएसएनवाई -7296,1756 दिनांक 9-05-2023 व 29-01-2024 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
9. आवासीय आयुक्त, पांगी/अति0 उपायुक्त, काजा/उपमण्डाधिकारी (ना0) भरमौर, डोडरा क्वार, हिमाचल प्रदेश।

10. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हि0 प्र0, शिमला-5 को इस आशय से प्रेषित की जाती है कि इन नियमों को राजपत्र, हि0 प्र0 में प्रकाशित करने की कृपा करे तथा यह भी अनुरोध किया जाता है कि राजपत्र की एक प्रति इस विभाग को रिकार्ड हेतु भेजने की कृपा करें।
11. जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
12. गार्ड फाईल।

३.२.२४

(जीवन सिंह)

संयुक्त सचिव (सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।